न्यायालयः– विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण और अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	**:**	**विकास सिंह चौधरी, आर.जे.एस.**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	:	41/2016
सी.आई.एस. संख्या	:	01/2016
एफ.आई.आर. संख्या	:	436/2015, पुलिस थाना ब्यावर सदर

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

––अभियोगी

बनाम

मिठू पुत्र घीसा, उम्र 60 वर्ष, निवासी–रतनपुरा घाटा, पी.एस. ब्यावर सदर, जिला अजमेर।

––अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 8/18, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

उपस्थितः–

1– अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य

2– **श्री मुकेश दवे,** विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

।। **नि र्ण य** ।। **दिनांकः– 13.07.2026**

1– हस्तगत प्रकरण पुलिस थाना ब्यावर सदर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 436/2015 से उद्भूत हुआ, जिसमें प्रकरण के मुख्य अभियुक्त प्रेम कुमार की मृत्यु हो जाने से प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाकर प्रकरण फैसल शुमार किया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान जरिये अपर लोक अभियोजक दिनांक 23.01.2017 को तितम्बा आरोप पत्र विरूद्ध अभियुक्त मिठू अंतर्गत धारा 8/18 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 (जिसे तत्पश्चात् अधिनियम 1985 कहा जाएगा) में प्रस्तुत किया गया।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.10.2015 को समय 06.30 पी.एम. पर जरिये टेलीफोन कानि 662 मोहित कानि. 828 शंकरलाल, कानि. 1913 जितेन्द्र ने बताया कि मुखबीर खास ने इत्तला के आधार पर समय 06.45 पीएम पर थानाधिकारी अनूपसिंह मय हमराही जाप्ता ए.एस.आई श्री लालाराम, कानि. 575 संजीव, कानि. 1942 विश्राम, कानि. 1971 जगवेन्द्र, कानि 1732 सुरेन्द्रसिंह मय सरकारी जीप मय अनुसंधान बॉक्स मय इलेक्ट्रोनिक कांटा के बिजयनगर रोड़ मालपुरा तिराहा पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। जहां मुताबिक इत्तला समय 07.25 पी.एम. पर महिन्द्रा जीप बरंग सफेद नम्बर RJ–01–UA–6192 बिजयनगर की तरफ आती हुई नजर आयी, जिस पर चालक

को एसएचओ अनुपसिंह गाडी को रोकने का ईशारा किया तो चालक ने वाहन को रोका। एसएचओ मय हमराही जाप्ता के पास जाकर गाडी को चैक करना चाहा तो चालक ने अचानक अपनी गाडी को पीछे लेकर कच्चे रास्ते में भगाने लगा। जिस पर जीप सरकारी से उक्त् वाहन का पीछा कर समय 08.10 पी.एम. पर गढी थोरियान तिराहा पर सरकारी जीप को आगे लगाकर उक्त वाहन को रोका, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। समय 8.20 पी.एम. पर कानि जगवेन्द्र 1971 को अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब करने रवाना किया, जिसने समय 08.30 पी.एम. पर वापस आकर बताया कि तस्करों एवं कचहरी के चक्कर व रात्रि का समय होने से कोई भी व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं है, जिस पर हमराही जाप्ता में से लालाराम व कानि 575 संजीव को ही गवाह मामूर कर जीप को चैक किया तो जीप के पीछे दो भरी हुई प्लास्टिक की बोरी रखी नजर आई। जीप में सवार दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम प्रेमकुमार व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम त्रिलोक प्रजापत बताया। चालक प्रेमकुमार ने बोरियों में डोडा पोस्त भरा होना बताया। जिस पर उक्त दोनों को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस देकर तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करवाने के अधिकार बाबत बताया गया तो थानाधिकारी से ही तलाशी लिवाने की लिखित सहमति दी। जिस पर दोनों प्लास्टिक की बोरी को नीचे उतार कर एसएचओ मय हमराही जाप्ते के समक्ष दोनों प्लास्टिक की बोरी को खोलकर देखा तो डोडा पोस्त भरा होना पाया गया। जिसका कब्जे व परिवहन करने बाबत लाईसेंस व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया एवं प्रेमकुमार ने डोडा पोस्त मिठू काठात पुत्र घीसा काठात से 30 हजार में खरीद कर लाना बताया। दोनों बोरियों को गवाहान के समक्ष इलेक्ट्रोनिक बैटरी चलित कांटे से वजन किया तो पहली प्लास्टिक की बोरी का बारदाना सहित वजन 28 किलोग्राम व दूसरी बोरी का वजन बारदाना सहित 25 किलोग्राम एवं कुल वजन 53 किलोग्राम हुआ। पहली बोरी में से नमूना सैम्पल परीक्षण व कन्ट्रोल सैम्पल हेतु 500–500 ग्राम डोडा पोस्त निकाला जाकर सफेद कपडे की थैलियो मे डालकर शील्ड मोहर किया जाकर नमूना सैम्पल परीक्षण मार्का ए 1 व कन्ट्रोल पर मार्का ए 2 व शेष 27 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त को उसी प्लास्टिक की बोरी में शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया व दूसरी प्लास्टिक की बोरी में से नमूना सैम्पल 500–500 ग्राम डोडा पोस्त निकाला जाकर सफेद कपडे की थैलियो मे डालकर शील्ड मोहर कर नमूना सैम्पल परीक्षण पर मार्का बी1 व कन्ट्रोल सैम्पल पर बी 2 व शेष 24 कि.ग्रा. अवैध डोडा पोस्त की प्लास्टिक की बोरी में शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। जप्त शुदा माल को बतौर वजह सबूत कब्जे पुलिस लेकर फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। घटना में प्रयुक्त वाहन महिन्द्रा जीप नम्बर RJ–01–UA–6192 को समय 10.55 पी.एम. पर बतौर वजह सबूत जप्त कर जीप के फोटो प्रति कागजात को जरिये फर्द जप्त किया गया। जीप का रजिस्ट्रेशन प्रेमकुमार के नाम से होना पाया गया। वजह गिरफ्तारी एवं वजह निरुद्धिकरण से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रेमकुमार को गिरफ्तार किया गया एवं विधी विरुद्ध संघर्षरत बालक त्रिलोक प्रजापत को वजह निरुद्धिकरण से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द निरुद्धिकरण से निरुद्ध किया गया। मुल्जिम प्रेमकुमार की जामा तलाशी मे मिले मोबाईल नोकिया 107 को जरिये फर्द जप्ती के जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का सी अंकित किया

गया। विधि विरुद्ध सघर्षरत बालक त्रिलोक प्रजापत की जामा तलाशी में मिले मोबाईल नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक व सैमसंग को बतौर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का डी अंकित किया गया। फर्दात पर नमूना शील अंकित की गई। फर्द नमूना शील पृथक से मुर्तिब की गई व कार्यवाही में प्रयोग मे ली गई नमूना शील को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के मौके पर नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर शील्ड शुदा मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम मय जप्त शुदा महिन्द्रा जीप नंबर RJ–01–UA–6192 के आया। जप्तशुदा डोडा पोस्त को जमा मालखाना कराया एवं लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित किया गया। जप्तशुदा वाहन थाना परिसर में खड़ा करवाया तथा मुल प्रेमकुमार को बाद जामा तलाशी बंद हवालात कर सुपुर्द सन्तरी किया गया। विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक त्रिलोक प्रजापत को सादा वस्त्रधारी गिरधारी सिंह उपनिरीक्षक की निगरानी में रखा गया। थाना हाजा पर प्रकरण संख्या 436/2015 घारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर तफ्तीश उच्चाधिकारीयों के आदेशानुसार श्री सतेन्द्रसिंह नैगी, थानाधिकारी, ब्यावर सिटी के जिम्मे कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया.......इत्यादि। बाद अनुसंधान अभियुक्त **मिठू** के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/18 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में तितम्बा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा उक्तानुसार प्रसंज्ञान लिया गया।

3– आरोप पूर्व उभयपक्ष की बहस सुनकर एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2017 को अभियुक्त **मिठू** के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/18 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त को उक्तानुसार आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4– अभियोजन ने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया–

क्रं. सं.	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1	पी.डब्ल्यू. 1	संजीव
2	पी.डब्ल्यू. 2	विश्राम मीणा
3	पी.डब्ल्यू. 3	सुरेंद्र सिंह
4	पी.डब्ल्यू. 4	अनूप सिंह
5	पी.डब्ल्यू. 5	लालाराम
6	पी.डब्ल्यू. 6	जगवेंद्र सिंह
7	पी.डब्ल्यू. 7	जितेंद्र सिंह
8	पी.डब्ल्यू. 8	मोहित
9	पी.डब्ल्यू. 9	सिद्धार्थ प्रजापत
10	पी.डब्ल्यू. 10	संजय कुमार

11	पी.डब्ल्यू. 11	सुखपाल
12	पी.डब्ल्यू. 12	शंकरलाल
13	पी.डब्ल्यू. 13	उंकार सिंह
14	पी.डब्ल्यू. 14	भूरा सिंह
15	पी.डब्ल्यू. 15	चतर सिंह
16	पी.डब्ल्यू. 16	हरजी सिंह
17	पी.डब्ल्यू. 17	दीपक
18	पी.डब्ल्यू. 18	भीम सिंह
19	पी.डब्ल्यू. 19	प्रकाश राम
20	पी.डब्ल्यू. 20	सतेन्द्र सिंह
21	पी.डब्ल्यू. 21	यशवंत सिंह
22	पी.डब्ल्यू. 22	रवींद्र सिंह
23	पी.डब्ल्यू. 23	नरेंद्र नागौरा
24	पी.डब्ल्यू. 24	तेजमल

5– इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन ने निम्नलिखत दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया –

प्रदर्श	**दस्तावेज का नाम**
प्रदर्श पी–1	फर्द जब्ती
प्रदर्श पी–2	फर्द गिरफ्तारी (मुल्जिम प्रेम कुमार)
प्रदर्श पी–3	फर्द जब्ती नोकिया मोबाइल
प्रदर्श पी–4	फर्द नमूना सील
प्रदर्श पी–5	फर्द नष्टीकरण सील
प्रदर्श पी–6	फर्द जब्ती महिंद्रा जीप
प्रदर्श पी–7	फर्द जब्ती फोटोप्रति कागजात जीप
प्रदर्श पी–8	घटनास्थल का नक्शा मौका
प्रदर्श पी–9	फर्द नक्शा मौका
प्रदर्श पी–10	फर्द बरामदगी अवैध डोडा पोस्त
प्रदर्श पी–11	फर्द बरामदगी नक्शामौका
प्रदर्श पी–12	फर्द नष्टीकरण नमूना सील

प्रदर्श	दस्तावेज का नाम
प्रदर्श पी–13	फर्द नमूना सील
प्रदर्श पी–14	फर्द हुक्मनामा
प्रदर्श पी–15	धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस
प्रदर्श पी–16	फर्द वजह गिरफ्तारी
प्रदर्श पी–17	फर्द सूचना आमद
प्रदर्श पी–18	रोजनामचा रपट
प्रदर्श पी–19	धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना
प्रदर्श पी–20	एफ.एस.एल रिपोर्ट
प्रदर्श पी–21	असल आर.सी. जब्तशुदा वाहन
प्रदर्श पी–22	बीमा सत्यप्रति जब्तशुदा वाहन
प्रदर्श पी–23	फर्द तस्दीक नक्शा मौका
प्रदर्श पी–24	फर्द गिरफ्तारी (मिठू काठात)
प्रदर्श पी–25	पुलिस बयान उंकार सिंह
प्रदर्श पी–26	पुलिस बयान भूरा सिंह
प्रदर्श पी–27	पुलिस बयान चतरा सिंह
प्रदर्श पी–27	पुलिस बयान हरजी सिंह
नोटः– प्रदर्श क्रमांक पी–27 पर दो दस्तावेज प्रदर्शित हैं।	
प्रदर्श पी–28	एस.एच.ओ. द्वारा भेजा अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी–29	एस.पी. साहब का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी–30	प्राप्ति रसीद एफ.एस.एल. कार्यालय
प्रदर्श पी–31	मूल मालखाना रजिस्टर
प्रदर्श पी–31 ए	मूल मालखाना रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि
प्रदर्श पी–32	फर्द इत्तला
प्रदर्श पी–33	मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि
प्रदर्श पी–34	आरटीओ अजमेर को तहरीर (वाहन स्वामी संबंधी रिपोर्ट सहित)
प्रदर्श पी–35	फर्द इत्तला धारा 27 भा.सा.अधि.
प्रदर्श पी–36	ग्राम पंचायत जीवाणा को तहरीर

प्रदर्श	दस्तावेज का नाम
प्रदर्श पी–37	ट्रेस नक्शा
प्रदर्श पी–38	ट्रेस नक्शा

6– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिये गए, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए निर्दोष होने, झूठा फंसाये जाने के कथन किए। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश किए किए–

प्रदर्श	दस्तावेज का नाम
प्रदर्श डी–23	ग्राम पंचायत जीवाणा को तहरीर
प्रदर्श डी–24	प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत जीवाणा

7– बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस सुयोग्य अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा कि प्रकरण में अभियुक्त को सहअभियुक्त के कहने पर मुल्जिम बनाया गया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं है, सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं। जहां से माल बरामद हुआ है, वह स्थान अभियुक्त के स्वामित्व या कब्जे का नहीं रहा है। प्रदर्श पी–23 व प्रदर्श पी–24 से यह तथ्य स्पष्ट साबित होता है। मुल्जिम को मुकदमा दर्ज होने के एक वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया है। सहअभियुक्त द्वारा किया गया कथन मुल्जिम के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो सकता। किसी गवाह ने मुल्जिम की शिनाख्त नहीं की है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

- सुरेंद्र कुमार खन्ना बनाम इन्टेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट, Cri. App. No. 949/2018 (SC)
- अनिल कुमार कौशिक बनाम पंजाब राज्य, CRR 2324/2022 P&H. (HC)
- कश्मीरा सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य, निर्णित दिनांक 04 मार्च 1952 (SC)
- पंचो बनाम हरियाणा राज्य, निर्णित दिनांक 20 अक्टूबर 2011 (SC)
- राजकुमार खरवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य, निर्णित दिनांक 21 मार्च, 1990 (SC)

8– इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी साबित होता है। जाब्ते के समस्त गवाहान ने जब्ती की कार्यवाही का अपने बयानों के दौरान पूरी तरह से समर्थन किया है। उनके बयानों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियोजन द्वारा अपना

मामला संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

9– प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में निम्न विचारणीय बिंदू बनना पाए जाते हैं–

1– क्या अन्य अभियुक्त प्रेमकुमार के चैतन्य आधिपत्य से दिनांक 12.10.2015 को गढी थोरियान चौराहे पर वाहन नंबर RJ–01–UA–6192 से बरामद दो बोरियों में कुल 53 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त का बेचान अभियुक्त मिठू द्वारा किया गया तथा अभियुक्त मिठू के स्वामित्व/कब्जेशुदा मकान से पांच बोरियों में कुल 122 किलोग्राम अवैध डोडापोस्त बरामद हुई, जिसे बिना किसी वैध लाइसेंस/परमिट के अपने कब्जे व भंडारण में रखा ?

2– क्या अभियुक्त मिठू द्वारा दिनांक 12.10.2015 को अन्य अभियुक्त प्रेम कुमार को कुल 53 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्त विक्रय कर पैसे प्राप्त कर बिना वैध लाईसेंस व परमिट के बेचान व परिवहन के षड्यंत्र में शामिल होकर दुष्प्रेरण किया ?

यदि हां, तो उपर्युक्त/उचित दण्ड क्या होगा ?

<u>अभियोजन पक्ष द्वारा पेश समग्र मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य</u>

10– उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में पत्रावली पर आयी अभियोजन साक्ष्य में प्रकरण के साक्षी **पी.डब्ल्यू 01 संजीव चारण** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह थाना ब्यावर सदर पर कानि. के पद पर तैनात होकर सी.आई. श्री अनूप सिंह, श्री लालाराम एएसआई, व कानि. जगवेंद्र व विश्राम मीणा के साथ मय अनुसंधान बॉक्स चालक सुरेंद्र सिंह के साथ सरकारी जीप पर समय 06.45 पीएम पर थाने से रवाना हुआ। सी आई साहब ने मुखबीर से प्राप्त इत्तला से हमें अवगत कराया, जिस पर हमने बिजयनगर पुलिया से आगे मालपुरा तिराहे पर नाकाबंदी शुरू की। तभी समय 07.25 पीएम पर एक जीप संख्या आर.जे. 01 यू.ए. 6192 आई, जिसे रूकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी को कच्चे रास्ते से भगाकर ले गया, जिसका पीछा करते हुए थोरियान चौराहे पर पहुंचकर जीप को रोका, जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे व पीछे दो भरी हुई बोरिया रखी हुई थी। कानि. जगवेंद्र को कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु भेजा, जिसने कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई गवाह नहीं मिलना बताया, जिस पर हमराही जाप्ता में से लालाराम व उसे गवाह मामूर किया गया। जीप में सवार दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रेमकुमार व दूसरे ने त्रिलोक होना बताया। जीप में भरी बोरियो में भरे सामान बाबत पूछा तो डोडा पोस्त होना बताया। जिस पर दोनों को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया, जिन्होंने बोरियों को अपने कब्जे में रखने व परिवहन बाबत् लाइसेंस परमिट का पूछने

पर नहीं होना बताया। उक्त दोनों बोरियों का साथ में लाए गए इलेक्ट्रोनिक कांटे से वजन किया तो पहली बोरी में 28 किलोग्राम व दूसरी बोरी में 25 किलोग्राम डोडा पोस्त होना पाया। जिस पर दोनों बोरियों में से 500–500 ग्राम के दो सैंपल पृथक से निकाल सील मोहर किया गया। दोनों बोरियों कंट्रोल सैंपल व एफएसएल सैंपल पृथक से निकालकर सील मोहर किया। शेष बचे डोडा पोस्त को उन्हीं बोरियों में रखकर सील मोहर किया। घटना में प्रयुक्त वाहन महिंद्रा जीप संख्या आर.जे. 01 यू.ए. 6192 को जब्त किया व गाड़ी के फोटोप्रति कागजात जब्त किए। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर मुल्जिम प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया व त्रिलोक को विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक होने से निरुद्ध किया गया। मुल्जिम प्रेम कुमार के कब्जे में मिले मोबाइल नोकिया को जब्त एक सफेद थैली में सील मोहर किया गया व त्रिलोक के पास मिले दो मोबाइल को जब्त कर सील मोहर किया गया। कार्यवाही के दौरान प्रयुक्त सील को जरिये फर्द नष्टीकरण से नष्ट किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 पर प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–2 मुल्जिम प्रेम कुमार, फर्द जब्ती नोकिया मोबाइल प्रदर्श पी–3, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–4, फर्द नष्टीकरण प्रदर्श पी–5, फर्द जब्ती महिंद्रा थार जीप प्रदर्श पी–6, फर्द जब्ती फोटोप्रति कागजात जीप प्रदर्श पी–7 सभी फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मौके की संपूर्ण कार्यवाही कर बरामदशुदा माल डोडा पोस्त, गिरफ्तार शुदा मुल्जिम व जब्तशुदा माल तथा मय जाप्ते के वापस थाने आकर सी.आई साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि अभियुक्त मिठू का नाम प्रेमकुमार के बताने के आधार पर ही कह रहा हूं। यह भी कथन सही होना स्वीकार किया कि अभियुक्त मिठू से किसी भी प्रकार का कोई माल बरामद नहीं हुआ।

11– गवाह **पी.डब्ल्यू 02 विश्राम मीणा** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह थाना ब्यावर सदर पर कानि. के पद पर तैनात होकर सी.आई. श्री अनूप सिंह, श्री लालाराम एएसआई, व कानि. जगवेंद्र व संजीव चारण के साथ मय अनुसंधान बॉक्स मय इलेक्ट्रोनिक कांटा, मय चालक सुरेंद्र सिंह के साथ सरकारी जीप पर समय 06.45 पीएम पर थाने से रवाना हुआ। सी.आई. साहब ने स्पेशल टीम के कानि. 662 रोहित कुमार, शंकरलाल 828, जितेंद्र 1913 से जरिये टेलीफोन प्राप्त सूचना से हमें अवगत कराया, जिस पर हमने समय 06.45 पीएम पर बिजयनगर पुलिया से आगे मालपुरा तिराहे पर नाकाबंदी शुरू की। तभी समय 07.25 पीएम पर एक जीप संख्या आर.जे. 01 यू.ए. 6192 आई, जिसे रूकने का इशारा कर किया। जैसे ही चालक ने गाड़ी रोकी, तो उसमें दो व्यक्ति बैठे नजर आए, जिनसे नाम पता पूछते ही चालक ने पीछे की तरफ गियर लगाकर गाड़ी को घूमा कर भगाकर ले गया, जिसका सरकारी जीप से पीछा कर समय 08.10 पीएम पर गड़ी थोरियान तिराया पर पहुंचकर जीप को रोका। जीप में सवार दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर ड्राइवर ने अपना नाम प्रेमकुमार व दूसरे ने त्रिलोक होना बताया। जीप में भरी बोरियो में भरे सामान बाबत पूछा तो डोडा पोस्त होना बताया,

जिसकी कार्यवाही हेतु कानि. जगवेंद्र को स्वतं. गवाह लाने हेतु रवाना किया, जिसने कोर्ट कचहरी के डर से गवाह नहीं मिलना बताया, जिस पर थानाधिकारी ने लालाराम एएसआई व कानि. संजीव को स्वतंत्र गवाह बनाया। दोनों व्यक्तियों से बोरियों को अपने कब्जे में रखने व परिवहन बाबत् लाइसेंस परमिट का पूछने पर नहीं होना बताया। स्वयं की तलाशी राजपत्रित अधिकारी से लिवाने का बोला, जिस पर उक्त दोनों प्लास्टिक की बोरियों का साथ में लाए गए इलेक्ट्रोनिक कांटे से वजन किया तो पहली बोरी में 28 किलोग्राम व दूसरी बोरी में 25 किलोग्राम डोडा पोस्त होना पाया। जिस पर दोनों बोरियों में से कंट्रोल सैंपल व नमूना सैंपल पृथक से लिया जाकर मार्का ए 1, ए 2 एवं बी1, बी2 व दोनों बोरियों में ए व बी अंकित किया जाकर मौके पर सील चपड़ी मोहर किया गया। मुल्जिम प्रेम कुमार को गिरफ्तार किया गया व बालक त्रिलोक को निरुद्ध किया गया। गाडी संख्या आर.जे. 01 यू.ए. 6192 को बतौर वजह सबूत जब्त किया व बाद कार्यवाही थाने पर आकर थानाधिकारी साहब ने मुकदमा दर्ज किया। दिनांक 13.10.2015 को एस.एच.ओ. ब्यावर सिटी सत्येंद्र सिंह ने उसके बयान लिए व घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–8 व 9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन मुल्जिम प्रेम कुमार व त्रिलोक ने हमारे सामने एसएचओ ब्यावर सिटी सत्येंद्र सिंह को इत्तला दी कि अभियुक्त प्रेम व त्रिलोक ने मिलकर 30,000/– में 53 किलोग्राम डोडा पोस्त मिठू पुत्र घीसा से खरीदा था, वह स्थान साथ चलकर बता सकता हूं। जिस पर गांव रतनपुरा घाटा स्थित अभियुक्त मिठू सिंह के घर पर पहुंचे, जहां पर मकान के अंदर पीछे बने कमरे में घुस कर देखा तो 05 प्लास्टिक की बोरियां डोडा पोस्त से भरी मिली, जिनका इलेक्ट्रोनिक कांटे से वजन करने पर 125 किलोग्राम होना पाया। मौके पर सभी बोरियों से नमूना व कंट्रोल सैंपल लिए जाकर सील मोहर किया। उसके सामने फर्द बरामगदी डोडा पोस्त व फर्द बरामदी नक्शामौका बनाया, जो प्रदर्श पी–10 व पी–11 हे, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। डोडा पोस्त बरामदगी में उपयोग में ली गई सील की फर्द बनायी गयी, जो प्रदर्श पी–13 व सील का नष्टीकरण प्रदर्श पी–12 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि इस प्रकरण में न तो अभियुक्त मिठू उसके सामने आया, ना ही मिठू से कोई डोडा पोस्त बरामद किया गया। यह भी सही बताया कि प्रेम कुमार ने अपने बचाव में मिठू का झूठा नाम लिया हो तो वह नहीं बता सकता। उसके बयान प्रदर्श डी–1 में मिठू के मकान से माल बरामद करने का हवाला नहीं है। इस कथन को सही होना स्वीकार किया कि मुल्जिम प्रेमकुमार के कहने के आधार पर ही जहां से माल बरामद हुआ, उस मकान को मिठू का होना बताया। हमारे द्वारा मिठू के मकान की शिनाख्ती बाबत् कोई अन्य जानकारी नहीं ली गई। यह भी सही होना कथित किया कि मुल्जिम प्रेमकुमार ने अपने आपको बचाने के लिए बरामदशुदा माल के कमरे को मिठू का होना बताया तो वह नहीं कह सकता। इस गवाह को जानकारी नहीं कि मिठू का मकान गांव के बाहर स्थित है। गवाह ने इस कथन को सही होना स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त मिठू को इस प्रकरण में कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, ना ही उसे जानता है तथा हमारा अन्वेषण मुल्जिम प्रेम कुमार के कहने के आधार पर ही हुआ था।

12– गवाह **पी.डब्ल्यू 03 सुरेंद्र सिंह** ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह पी.एस ब्यावर सदर पर कानि. के पर तैनात होकर चालक भी था। उस दिन 06.30 पीएम पर थानाधिकारी को जरिये टेलीफोन कानि. मोहित, शंकरलाल व जितेंद्र द्वारा दी गई इत्तला से थानाधिकारी ने उन्हें अवगत कराया, जिस पर वे समय 06.45 पीएम पर थानाधिकारी, लालाराम, कानि. विश्राम, जगवेंद्र व संजीव और वह मय सरकारी जीप, अनुसंधान बॉक्स व इलेक्ट्रोनिक कांटा के मालपुरा तिराहे के पास पहुंचकर नाकाबंदी की। समय 07.25 पीएम पर मुताबिक इत्तला एक महिंद्रा जीप बिजयनगर की तरफ से आई, जिस पर चालक को एसएचओ साहब ने रूकने का इशारा किया। गाड़ी रोकने पर गाड़ी को उन्होंने चैक करना चाहा, जिस पर चालक ने अचानक बैक गियर में गाड़ी को भगवाने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने सरकारी जीप से पीछा किया व समय 08.10 पीएम पर गड़ी थोरियान तिराहे पहुंचकर सरकारी जीप को आड़े लगाकर उक्त वाहन को रोका। जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। उसी समय कानि. जगवेंद्र को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया, जिसने वापस आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में व रात्रि का समय होने से कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हैं इस पर जाब्ता में से लालाराम व संजीव कुमार को गवाह मामूर किया जाकर जीप को चैक किया तो जीप के पीछे दो प्लास्टिक की बोरिया भरी हुई पायी। जीप में बैठे व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम प्रेमकुमार व त्रिलोक होना बताया। चालक प्रेमकुमार से बोरियों में भरे सामान बाबत् पूछा तो डोडा पोस्त भरा होना बताया। जिस पर प्रेम कुमार एवं त्रिलोक को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर नियमानुसार तलाशी ली गई। बोरियों को नीचे उतारा गया। एसएचओ साहब ने उनके समक्ष बोरियों को खोलकर चैक किया तो डोडा पोस्त भरा पाया। जिस बाबत् लाइसेंस व परमिट मांगा तो दोनों व्यक्तियों ने नहीं होना बताया। अभियुक्त प्रेमकुमार ने डोडा पोस्त अभियुक्त मिठू से 30 हजार रुपये में खरीदकर लाना बताया। प्लास्टिक बोरियों का वजन करने पर पहली का वजन 28 किलोग्राम व दूसरी का वजन 25 किलोग्राम हुआ। जिनमें से नमूना सैंपल निकाल कर सफेद कपड़े की थैलियों में रखा व कंट्रोल सैंपल तेयार कर नमूना सील लगाकर समय 10.55 पीएम पर वजह सबूत जब्त किया। जीप के फोटोप्रति दस्तावेजात को जब्त किया। जीप का रजिस्ट्रेशन प्रेम कुमार के नाम होना पाया गया। अभियुक्त प्रेमकुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी में एक नोकिया मोबाइल मिला, जिसे पृथक से जब्त किया। नमूना सील बनायी गई, जिसे बाद कार्यवाही नष्ट किया गया। मौके पर सारी कार्यवाही कर सीलशुदा माल मय गिरफ्तारी शुदा मुल्जिम मय महिंद्रा जीप के साथ थाने आए। जब्तशुदा डोडा पोस्त को मालखाना में जमा करवाया व लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित किए, जीप को थाना परिसर में खडा कराया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि उसके सामने अभियुक्त मिठू से कोई बरामदगी नहीं हुई तथा मुल्जिम प्रेमकुमार ने अपने बचाव के लिए मिठू का झूठा नाम लिया हो तो वह नहीं कह सकता।

13– गवाह **पी.डब्ल्यू 04 अनूप सिंह** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह पी.एस ब्यावर सदर पर थानाधिकारी के पद के पर

तैनात था। उस दिन कानि. मोहित, शंकरलाल व जितेंद्र द्वारा दी गई इत्तला को रोजनामचा में लेखबद्ध किया व धारा 42(1) एनडीपीएस की सूचना लेकर श्रीमान एस.पी. साहब के पास सिपाही दीपक को रवाना किया, जो धारा 42 की सूचना की प्रति पर हस्ताक्षर प्राप्ति लेकर थाने आया, जो सूचना प्रदर्श–13 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी एस.पी. साहब की प्राप्ति रसीद है। तत्पश्चात एएसआई लालाराम, कानि. विश्राम, जगवेंद्र व संजीव और सुरेंद्र सिंह मय सरकारी जीप, अनुसंधान बॉक्स व इलेक्ट्रोनिक कांटा के मालपुरा तिराहे के पास पहुंचकर नाकाबंदी की। समय 07.25 पीएम पर मुताबिक इत्तला एक महिंद्रा जीप नंबर आर.जे. 01 यू.ए. 6192 बिजयनगर की तरफ से आई, जिसको रूकने का इशारा किया। गाड़ी रोकने पर गाड़ी को करना चाहा, जिस पर चालक ने अचानक बैक गियर में गाड़ी को भगाया, जिसका पीछा कर गड़ी थोरियान तिराहे पर रोका। जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। उसी समय कानि. जगवेंद्र को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया, जिसने वापस आकर स्वतंत्र गवाह नहीं मिलना बताया। इस पर जाब्ता में से लालाराम व संजीव कुमार को गवाह मामूर किया जाकर जीप को चैक किया तो जीप के पीछे दो प्लास्टिक की बोरिया भरी हुई पायी। जीप में बैठे व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम प्रेमकुमार व त्रिलोक होना बताया। बोरियों में भरे सामान बाबत् पूछा तो डोडा पोस्त भरा होना बताया। जिस पर प्रेम कुमार एवं त्रिलोक को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर नियमानुसार तलाशी ली गई। बोरियों को नीचे उतारा गया। एसएचओ साहब ने उनके समक्ष बोरियों को खोलकर चैक किया तो डोडा पोस्त भरा पाया। जिस बाबत् लाइसेंस व परमिट मांगा तो दोनों व्यक्तियों ने नहीं होना बताया। अभियुक्त प्रेमकुमार ने डोडा पोस्त अभियुक्त मिठू से 30 हजार रुपये में खरीदकर लाना बताया। प्लास्टिक बोरियों का वजन करने पर पहली का वजन 28 किलोग्राम व दूसरी का वजन 25 किलोग्राम हुआ। दोनों बोरियों में से 500–500 ग्राम डोडा पोस्त सैंपल तथा 500–500 ग्राम डोडा पोस्त बतौर कंट्रोल सैंपल निकाल कर सफेद कपड़े की थैलियों में सील चेपा किया। जीप को जब्त किया। जीप का रजिस्ट्रेशन प्रेम कुमार के नाम होना पाया गया। अभियुक्त प्रेमकुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी में एक नोकिया मोबाइल मिला, जिसे पृथक से जब्त किया। विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक त्रिलोक को निरुद्ध किया, जिसकी तलाशी में मिले दो मोबाइल को जब्त किया। नमूना सील मुर्तिब की, जिसे बाद कार्यवाही नष्ट किया गया। सिपाही जगवेंद्र को मौतबीर तलबी का हुक्मनामा प्रदर्श पी–14 दिया, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी जगवेंद्र के हस्ताक्षर, ई से एफ गवाह उपलब्ध न होने का पृष्ठांकन है। अभियुक्त प्रेमकुमार को दिए धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–15 पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त प्रेमकुमार के हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम प्रेम कुमार की वजह गिरफ्तारी प्रदर्श पी–16 पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त प्रेमकुमार के हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी प्रेम कुमार प्रदर्श पी–2 पर ए से बी सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त प्रेम कुमार के हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती प्रेमकुमार के मोबाइल प्रदर्श पी–3 पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त प्रेम कुमार के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–4 पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त प्रेम कुमार व जी से एच त्रिलोक के हस्ताक्षर हैं। फर्द नष्टीकरण प्रदर्श पी–5 पर सी से डी उसके व ई से एफ व जी से एच प्रेम कुमार व

त्रिलोक के हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती जीव प्रदर्श पी–6 व फर्द कागजात जीप प्रदर्श पी–7 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। धारा 42(1) एनडीपीएस एक्ट सूचना की आमद रवानगी प्रदर्श पी–17 व 18 पर ए से बी, फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 पर सी से डी व ई से एफ प्रेम कुमार व जी से एच त्रिलोक के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। माल मुल्जिम सहित जब्तशुदा वाहन थाने आए। रोजनामचा पर रपट अंकित की। अनुसंधान अधिकारी ने उसकी निशांदेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौक प्रदर्श पी–8 व 9 बनाया, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना वृत्त कार्यालय ब्यावर को भिजवाई, जिसके प्रदर्श पी–19 पर ए से बी उसके व सी से डी सीओ साहब की प्राप्ति रसीद के हस्ताक्षर है। पत्रावली पर एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–20 है। जब्तशुदा कागजात प्रदर्श पी–21 व पी–22 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने अभियुक्त मिठू के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिए।

14– गवाह **पी.डब्ल्यू 05 लालाराम** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह पी.एस ब्यावर सदर पर सहायक उपनिरीक्षक के पद के पर तैनात था। उस दिन समय 06.30 पीएम पर थानाधिकारी साहब को जरिये टेलीफोन कानि. मोहित, शंकरलाल व जितेंद्र द्वारा दी गई इत्तला को रोजनामचा में लेखबद्ध किया व धारा 42(1) एनडीपीएस की सूचना लेकर श्रीमान एस.पी. साहब के पास सिपाही दीपक को रवाना किया, जो धारा 42 की सूचना की प्रति पर हस्ताक्षर प्राप्ति लेकर थाने आया, जो सूचना प्रदर्श–13 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी एस.पी. साहब की प्राप्ति रसीद है। तत्पश्चात एसएचओ साहब, कानि. विश्राम, जगवेंद्र व संजीव और सुरेंद्र सिंह मय सरकारी जीप, अनुसंधान बॉक्स व इलेक्ट्रोनिक कांटा के मालपुरा तिराहे के पास पहुंचकर नाकाबंदी की। समय 07.25 पीएम पर मुताबिक इत्तला एक महिंद्रा जीप नंबर आर.जे. 01 यू.ए. 6192 बिजयनगर की तरफ से आई, जिसको रूकने का इशारा किया। गाड़ी रोकने पर गाड़ी को करना चाहा, जिस पर चालक ने अचानक बैक गियर में गाड़ी को भगाया, जिसका पीछा कर गड़ी थोरियान तिराहे पर रोका। जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। उसी समय कानि. जगवेंद्र को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया, जिसने वापस आकर स्वतंत्र गवाह नहीं मिलना बताया। इस पर जाब्ता में से उसे व संजीव कुमार को गवाह मामूर किया जाकर जीप को चैक किया तो जीप के पीछे दो प्लास्टिक की बोरिया भरी हुई पायी। जीप में बैठे व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम प्रेमकुमार व त्रिलोक होना बताया। बोरियों में भरे सामान बाबत् पूछा तो डोडा पोस्त भरा होना बताया। जिस पर प्रेम कुमार एवं त्रिलोक को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर नियमानुसार तलाशी ली गई। बोरियों को नीचे उतारा गया। एसएचओ साहब ने उनके समक्ष बोरियों को खोलकर चैक किया तो डोडा पोस्त भरा पाया। जिस बाबत् लाइसेंस व परमिट मांगा तो दोनों व्यक्तियों ने नहीं होना बताया। अभियुक्त प्रेमकुमार ने डोडा पोस्त अभियुक्त मिठू से 30 हजार रुपये में खरीदकर लाना बताया। प्लास्टिक बोरियों का वजन करने पर पहली का वजन 28 किलोग्राम व दूसरी का वजन 25 किलोग्राम हुआ। दोनों बोरियों में से चार सैंपल 500–500

ग्राम डोडा पोस्त सैंपल के लिए गए, जिन्हें नियमानुसार सील चिट किया। जिन पर मार्का ए 1, कंट्रोल सैंपल पर मार्का ए 2 अंकित किया। नमूना सैंपल पर मार्का बी1 व कंट्रोल सैंपल पर मार्का बी2 अंकित किया। जीप को जब्त कर फर्द जब्ती तैयार की। आरोपी की फर्द गिरफ्तारी बनाई। नोकिया मोबाइल को मार्क सी व त्रिलोक से प्राप्त मोबाइल पर मार्क डी अंकित किया। नमूना सील मुर्तिब की, जिसे बाद कार्यवाही नष्ट किया गया। संपूर्ण कार्यवाही की जाकर मय माल मुल्जिम थाने आकर एसएचओ साहब ने मुकदमा दर्ज किया। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी–15 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम प्रेम कुमार की वजह गिरफ्तारी प्रदर्श पी–16 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी जब्ती मोबाइल प्रदर्श पी–2 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–4 व फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–5 पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती जीप प्रदर्श पी–6 व फर्द कागजात जीप प्रदर्श पी–7 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि मिठू का नाम मुल्जिम प्रेम कुमार के कहने से बताया है। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त मिठू मौके पर मौजूद नहीं था, ना ही उसे माल बरामद किया। मुल्जिम प्रेमकुमार ने अपने बचाव के लिए मिठू का झूठा नाम लिया हो तो वह नहीं कह सकता।

15– गवाह **पी.डब्ल्यू 06 जगवेंद्र सिंह** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह पी.एस ब्यावर सदर पर कानि. के पर तैनात होकर चालक भी था। उस दिन 06.30 पीएम पर थानाधिकारी को जरिये टेलीफोन कानि. मोहित, शंकर व जितेंद्र द्वारा दी गई इत्तला से थानाधिकारी ने उन्हें अवगत कराया, जिस पर वे समय 06.45 पीएम पर थानाधिकारी, लालाराम, कानि. विश्राम, संजीव और सुरेंद्र मय सरकारी जीप, अनुसंधान बॉक्स व इलेक्ट्रोनिक कांटा के मालपुरा तिराहे के पास पहुंचकर नाकाबंदी की। समय 07.25 पीएम पर मुताबिक इत्तला एक महिंद्रा जीप नंबर आर.जे. 01 यू.ए. 6192 बिजयनगर की तरफ से आई, जिस पर चालक को एसएचओ साहब ने रूकने का इशारा किया। गाड़ी रोकने पर गाड़ी को उन्होंने चैक करना चाहा, जिस पर चालक ने अचानक बैक गियर में गाड़ी को भगवाने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने सरकारी जीप से पीछा किया व समय 08.10 पीएम पर गड़ी थोरियान तिराहे पहुंचकर सरकारी जीप को आड़े लगाकर उक्त वाहन को रोका। जिसमें दो व्यक्ति बैठे थे। जिस पर एसएचओ साहब ने उसे दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया, जिसने वापस आकर बताया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में व रात्रि का समय होने से कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हैं इस पर जाब्ता में से लालाराम व संजीव कुमार को गवाह मामूर किया जाकर जीप को चैक किया तो जीप के पीछे दो प्लास्टिक की बोरिया भरी हुई पायी। जीप में बैठे व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम प्रेमकुमार व त्रिलोक होना बताया। चालक प्रेमकुमार से बोरियों में भरे सामान बाबत् पूछा तो डोडा पोस्त भरा होना बताया। जिस पर प्रेम कुमार एवं त्रिलोक को धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का नोटिस दिया जाकर नियमानुसार तलाशी ली गई। बोरियों को नीचे उतारा गया। बोरियों को खोलकर चैक किया तो डोडा पोस्त भरा पाया। जिस बाबत् लाइसेंस

व परमिट मांगा तो दोनों व्यक्तियों ने नहीं होना बताया। अभियुक्त प्रेमकुमार ने डोडा पोस्त अभियुक्त मिठू से 30 हजार रुपये में खरीदकर लाना बताया। प्लास्टिक बोरियों का वजन करने पर पहली का वजन 28 किलोग्राम व दूसरी का वजन 25 किलोग्राम हुआ। दोनों बोरियों में से नमूना सैंपल व कंट्रोल सैंपल 500–500 ग्राम निकाला। नमूना सैंपल पर मार्का ए 1, कंट्रोल सैंपल पर मार्का ए 2 अंकित किया। शेष बचे 27 किलो डोडा पोस्त को उसी प्लास्टिक की थैली में शील्ड कर मार्का ए अंकित किया। नमूना सैंपल पर मार्का बी1 व कंट्रोल सैंपल पर मार्का बी2 अंकित किया। नियमानुसार गवाहों के हस्ताक्षर करवाए। जीप को जब्त किया। जीप का रजिस्ट्रेशन प्रेम कुमार के नाम होना पाया गया। अभियुक्त प्रेमकुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी में एक नोकिया मोबाइल मिला, जिसे पृथक से जब्त किया। विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक त्रिलोक को निरुद्ध किया। अभियुक्त प्रेमकुमार का मोबाईल नोकिया 107 जरिये फर्द जब्त कर शील्ड मोहर कर मार्का सी अंकित किया। त्रिलोक की जामा तलाशी में मिले मोबाईल नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक को जब्त किया जाकर सफेद कपड़े की थैली में मार्का डी अंकित किया। नमूना सील मुर्तिब कर बाद कार्यवाही सील नष्टीकरण् फर्द तैयार की। जब्तशुदा डोडा पोस्त मय माल व जीप व मुल्जिमान के हाजिर थाने आकर एसएचओ साहब ने माल को मालखाना में जमा करवाया। प्रेम कुमार को बंद हवालात किया। नाबालिग त्रिलोक को एएसआई गिरधारी सिंह की निगरानी में बिठाया। दिनांक 13.10.2015 को थानाधिकारी ब्यावर शहर के साथ वह और थानाधिकार अनूप सिंह, कानि. संजय, कानि पुखराज, एएसआई सिद्धार्थ सिंह मय अनुसंधान बॉक्स व प्राइवेट गाड़ी के घटनास्थल पर पहुंचकर नक्शामौका मुर्तिब किया। मुल्जिम प्रेम कुमार की इत्तला पर अभियुक्त मिठू काठात के घर गए तो दरवाजे पर ताला लगा था, तो पीछे का दरवाजा खुलवाकर अभियुक्त प्रेमकुमार ने बताया कि यही अभियुक्त मिठू काठात का घर है, जहां दिनांक 12.10.2015 को वह व त्रिलोक अभियुक्त के घर से 30 हजार रूपये में 53 किलोग्राम डोडापोस्त खरीद कर लेकर गए थे। अभियुक्त के घर में और माल हो सकता है, जिस पर आपके घर पहुंचे और कमरे में देखा तो पांच बोरिया डोडा पोस्त की भरी पड़ी मिली, जिनका वजन किया तो 122 किलोग्राम हुआ। जिसमें से नमूना सैंपल निकाला, जिस पर मार्का ई 1, एफ 1, जी1, एच 1, आई 1 व कंट्रोल सैंपल निकाला, जिन पर मार्का ई 2, एफ 2, जी2, एच 2, आई 2 अंकित किया व शेष माल की बोरी पर मार्का ई, एफ, जी, एच, आई अंकित किया। बाद कार्यवाही वापिस थाने पहुंचे। हुक्मनामा प्रदर्श पी–14 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ रिपोर्ट है। फर्द बरामदगी अवैध डोडा पोस्त प्लास्टिक की बोरियों में कुल 122 किलोग्राम प्रदर्श पी–10 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक बरामदगी स्थल नक्शामौका अभियुक्त मिठू काठात का घर गांव रतन पुरा घाटा प्रदर्श पी–11 है। जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त प्रेम कुमार के हस्ताक्षर है। फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी–12 पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त प्रेम कुमार के हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा इस गवाह से **प्रतिपरीक्षण** नहीं किया गया।

16– गवाह **पी.डब्ल्यू 07 जितेंद्र सिंह** ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि

दिनांक 12.10.2015 को वह पुलिस लाईन अजमेर में कार्यरत होकर स्पेशल टी में कार्यरत था। उस दिन मुखबीर खास से सूचना मिली कि महेंद्रा जीप नंबर आर.जे. 01 यूए 6192 में दो व्यक्ति डोडा पोस्त भरकर ले जा रहे हैं। उक्त इत्तला श्रीमान सी.आई., ब्यावर सदर श्री अनूप सिंह को दी। बाद में पता चला कि एसएचओ के द्वारा दी गई इत्तला से उक्त जीप में दो बोरी डोडा पोस्त मिला।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने कथन किया कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई।

17– गवाह **पी.डब्ल्यू 08 मोहित** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को मुखबीर खास बिजयनगर रोड़ से ब्यावर की तरफ एक महिंद्रा जीप नंबर आर.जे. 01 यू.ए. 6192 में डोडा पोस्त होने की सूचना उसे, शंकरलाल व जितेंद्र को मिली, जिस पर उन्होंने ब्यावर एसएचओ को श्री अनूप सिंह को बताया। जिस पर एसएचओ साहब ने नाकाबंदी कर उक्त जीप को रूकवाया, जिसमें दो आदमी बैठे थे व जीप में पीछे दो बोरी डोडा पोस्त की मिली।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने अभियुक्त मिठू के विरुद्ध कोई बयान लेखबद्ध नहीं कराए।

18– गवाह **पी.डब्ल्यू 09 सिद्धार्थ** गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 13.10.2015 को वह पीएस ब्यावर सिटी में पदस्थापित था। वह एसएचओ साहब नेगी जी के साथ सदर थाने पर मुकदमा संख्या 436/2015 की कार्यवाही हेतु साथ में गया था। गढी थोरियान तिराहे पहुंचकर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था, वापसी थाने पर उन्हें सूचना मिली कि अभियुक्त मिठू काठात के घर डोडा पोस्त हो सकता है, जिस पर मुलजिम प्रेम कुमार के साथ रतनपुरा घाटा पहुंचे, जहां प्रेम कुमार ने अभियुक्त मिठू काठात का घर बताया, जिसके एक दरवाजे पर ताला लगा था, एक दरवाजा खुला था।। मुलजिम प्रेम कुमार ने बताया कि यही अभियुक्त मिठू काठात पुत्र श्री घीसा काठात का मकान है, जहां से उसने व उसके दोहिते त्रिलोक ने कल दिनांक 12.10.2015 को तीस हजार रूपये में 53 किलोग्राम डोडा पोस्त खरीदा थे। यहां पर और भी डोडा चूरा हो सकता है। जिस पर एसएचओ सत्येन्द्र नेगी मय जाब्ता विश्राम, जगवेन्द्र के साथ जाकर उस कमरे को देखा तो वहां पांच प्लास्टिक के कट्टे पड़े थे, जिन्हें बाहर निकालकर देखा तो डोडा चूरा भरा था, जिस पर गवाह विश्राम व जगवेन्द्र ने इलेक्ट्रानिक कांटो से तौला, जिसका वजन 122 किलोग्राम था। इनके पृथक से सैम्पल भरे व फर्द बरामदगी अलग से बनायी जाकर शामिल पत्रावली की।,

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने कथन किया कि मिठू उस दिन मौके पर आ गया था। मिठू को वह सामने आने पर पहचान सकता है।

19– गवाह **पी.डब्ल्यू 10 संजय कुमार** ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 13.10.2015 को वह पीएस ब्यावर सिटी में पदस्थापित था। वह एसएचओ साहब नेगी जी के साथ सदर थाने पर मुकदमा संख्या 436/2015 की कार्यवाही हेतु साथ

में गया था। गढी थोरियान तिराहे पहुंचकर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था, वापसी थाने पर उन्हें सूचना मिली कि अभियुक्त मिठू काठात के घर डोडा पोस्त हो सकता है, जिस पर मुलजिम प्रेम कुमार के साथ रतनपुरा घाटा पहुंचे, जहां प्रेम कुमार ने अभियुक्त मिठू काठात का घर बताया, जिसके एक दरवाजे पर ताला लगा था, एक दरवाजा खुला था।। मुलजिम प्रेम कुमार ने बताया कि यही अभियुक्त मिठू काठात पुत्र श्री घीसा काठात का मकान है, जहा से उसने व उसके दोहिते त्रिलोक ने कल दिनांक 12.10.2015 को तीस हजार रूपये में 53 किलोग्राम डोडा पोस्त खरीदा थे। यहां पर और भी डोडा चूरा हो सकता है। जिस पर एसएचओ सत्येन्द्र नेगी मय जाब्ता विश्राम, जगवेन्द्र के साथ जाकर उस कमरे को देखा तो वहां पांच प्लास्टिक के कट्टे पड़े थे, जिन्हें बाहर निकालकर देखा तो डोडा चूरा भरा था, जिस पर गवाह विश्राम व जगवेन्द्र ने इलेक्ट्रानिक कांटो से तौला, जिसका वजन 122 किलोग्राम था। इनके पृथक से सैम्पल भरे व फर्द बरामदगी अलग से बनायी जाकर शामिल पत्रावली की। बाद कार्यवाही थाने पर आये। उक्त प्रकरण में दिनाक 30.11.2016 को थानाधिकारी थाना ब्यावर सिटी श्री यशवंत यादव ने उसके व कानि. तेजमल के समक्ष मुलजिम मिठू काठात को समय 10.00 ए एम पर जरिये फर्द गिरफतार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 24 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन समय 11.30 पीएम पर मुलजिम मिठू काठात की मुताबिक इत्तला के आपके घर का नक्शा फर्द तस्दीक नक्शा मौका उसके व कानि. तेजमल के समक्ष बनाया था, फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 23 पर ए से बी उसके है।

उक्त गवाह प्रकरण में गिरफ्तारी का गवाह है, जिसने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर आरोपी मिठू की गिरफ्तारी से संबंधित तथ्यों की ताईद की है।

20– गवाह **पी.डब्ल्यू 11 सुखपाल** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 13.10.2015 को वह पीएस ब्यावर सदर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन श्री सत्येन्द्र सिंह सीआई के साथ वह, सिद्धार्थ उ.नि, संजय कुमार कानि के साथ पीएस ब्यावर पर प्रकरण संख्या 436/15 धारा 08/15 एनडीपीएस एक्ट में अनुसंधान सहयोग हेतु थानाधिकारी के साथ थाना ब्यावर सदर गये थे। उस रोज प्रेम कुमार अभियुक्त की इत्तला अनुसार अभियुक्त मिठू सिंह के मकान से 122 किलोग्राम डोडापोश्त बरामद किया था। जिस पर मार्क क्रमशः ई एफ, जी, एच, आई अंकित किया था। जब्त शुदा डोडापोश्त में से कंट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल पृथक से लिये थे। उक्त कार्यवाही में वह थानाधिकारी के साथ मौजूद था।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि मौके पर हमारे साथ कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। यह भी स्वीकार किया कि मिठू का कमरा मुल्जिम प्रेमकुमार के कहने के आधार पर ही बताया था। मिठू उक्त कमरे का मालिक था या नहीं, वह नहीं बता सकता, थानाधिकारी ने जांच की होगी। गवाह ने यह सुझाव भी स्वीकार किया कि अभियुक्त मिठू उस समय मौके पर मौजूद नहीं था।

21– गवाह **पी.डब्ल्यू 12 शंकरलाल** गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह स्पेशल टीम में कार्यरत था। उस दिन उन्हें

मुखबीर से इतला मिली थी। जिसकी सूचना टेलीफोन द्वारा ब्यावर सदर थानाधिकारी को दी थी कि एक महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 01–यूए–6192 रतनपुरा घाटा से बिजयनगर रोड ब्यावर की तरफ आ रही है, जिसमें डोडा पोस्त भरे हुये है और जीप में दो व्यक्ति है। जीप चालक ने धोती–कुर्ता और पीले रंग का साफा पहन रखा है। उपरोक्त सूचना मिलने पर उसने थानाधिकारी अनूपसिंह को टेलीफोन से अवगत करवाया। बाद में उसे पता चला कि उक्त जीप में दो बोरे डोडा पोस्त मिले थे। जीप में दो व्यक्तियों को पकडा जिनमे एक नाम प्रेमकुमार व दूसरा बालक त्रिलोक प्रजापत था।

22– गवाह **पी.डब्ल्यू 17 दीपक** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 12.10.2015 को वह पुलिस थाना ब्यावर सदर पर कॉस्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन सी.आई साहब अनूप सिंह जी ने एक नोटिस धारा 42 एन.डी.पी.एस का वास्ते तामील हेतु श्रीमान् एस.पी साहब अजमेर हेतु दिया। जिसे तामील करवाकर बाद तामील श्रीमान् सी आई साहब को सुपुर्द किया। उसके बाद दिनांक 29.10.2015 को एच.एम मालखाना ने उसे सील्डशुदा सात पैकेट व अग्रेषण पत्र श्रीमान् एस.पी. साहब, अजमेर के लिए बनवाने हेतु दिया। जिसे दिनांक 29.10.2015 को एफ.एस.एल जयपुर के नाम बनवाकर दिनांक 30.10.2015 को माल जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त कर एच.एम. मालखाना को दिया एवं उनके कहने पर एस.एच.ओ ब्यावर सिटी में रसीद देकर आया। एस.एच.ओ द्वारा भेजा गया पत्र प्रदर्श पी 28 है. एस.पी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 29 है एफ.एस.एल कार्यालय में माल जमा करवाने की रसीद प्रदर्श पी–30 है।

उक्त गवाह एफ.एस.एल. जमा करवाने का गवाह है, जिसने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर एफ.एस.एल. से संबंधित तथ्य कथित किए हैं।

23– गवाह **पी.डब्ल्यू 18 भीम सिंह** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 13.10.2015 को वह कार्यालय सहायक पुलिस अधीक्षक वृत ब्यावर में रिसीप्ट शाखा में पदस्थापित था। उस दिन ब्यावर सदर से कानि दीपक एफआईआर संख्या 436/2015 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में धारा 57 एन डी पी एस की सूचना उसे दी, जिसे उसने तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक जय यादव के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने उक्त सूचना प्राप्त कर उसकी प्राप्ति रसीद उसी समय कानि दीपक को धारा 57 की सूचना प्रदर्श पी 19 पर दी, जिस पर ई से एफ भाग पर प्राप्ति इबारत है तथा सी से डी यादव साहब के हस्ताक्षर है।

24– गवाह **पी.डब्ल्यू 19 प्रकाशराम** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 13.10.2015 को वह हैडकानि 119 पुलिस थाना ब्यावर सदर में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्री अनूपसिंह, थानाधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 436/15 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस एक्ट में जप्तशुदा आर्टिकल नमूना सैंपल मार्का ए 1, कंट्रोल सैंपल मार्का ए 2 व डोडा पोस्त से भरी प्लास्टिक की बोरी सील्डशुदा मार्का ए व दूसरी बोरी में से नमूना सैंपल बी1 व कंट्रोल सेंपल बी2 व प्लास्टिक की डोडा पोस्त से भरी बोरी मार्का बी एवं सील्डशुदा मार्का सी में मुल्जिम प्रेमकुमार के मोबाईल व मार्का डी में मुल्जिम बालक त्रिलोक के दो मोबाईल लाकर दिए एवं घटना में प्रयुक्त एक जीप आर.जे 01

यूए 6192 को लाकर दी, जो उसने मालखाना मद संख्या 403 पर इंद्राज किया। मुल्जिम प्रेमकुमार की 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तलाह पर अनुसंधान कर्ता श्री सत्येन्द्र नेगी पुलिस निरीक्षक के द्वारा बरामदशुदा नमूना सेंपल मार्का ई, एफ, जी, एच, आई व कंट्रोल सैंपल मार्का ई 1, एफ 1, जी1, एच 1, आई 1 डोडा पोस्त के बोरे मार्का ई 2, एफ 2, जी2, एच 2, आई 2 सील्डशुदा अवस्था में उसे लाकर सुपुर्द किए, जिस पर उक्त माल उसने उसी क्रमांक पर इंद्राज किया गया। दिनांक 26.10.2015 को कानि दीपक कुमार 1271 को सील्डबंद पैकेट नमूना सेंपल मार्का ए 1, बी1, ई, एफ, जी, एच. आई मय अग्रेषण पत्र थानाधिकारी के एफ.एस.एल जमा करवाने हेतु सुपुर्द कर रवाना किया। दिनांक 28.10.2015 को दीपक कुमार 1271 ने एफ एस.एल एतराज होने पर लाकर सुपुर्द किया, जो जमा मालखाना किया गया। दिनांक 29.10.2015 को बाद एतराज पूर्ति कानि दीपक कुमार 1271 को सील्डशुदा पैकेट नमूना सेंपल एफ.एस.एल जमा करवाने हेतु मार्का ए 1, बी1, ई, एफ, जी, एच, आई के सुपुर्द कर श्रीमान् एस.पी साहब कार्यालय व एफ.एस.एल विभाग जयपुर के लिए रवाना किया। दिनांक 30.10.2015 को कानि दीपक कुमार द्वारा एफ.एस.एल विभाग जयपुर में जमा करवाकर रसीद संख्या 12344 दिनांक 30.10.2015 लाकर पेश की, जो बाद इंद्राज रसीद अनुसंधानकर्ता को सुपुर्द की । इस प्रकरण में श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इंवेंट्री की गई। उस समय उसके द्वारा प्रकरण हाजा में माल को पेश किया गया। बाद इंवेंट्री के माल जमा मालखाना किया गया, जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में है। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श–पी 31 की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श–पी 31 ए पर ए से बी उसके, सी से डी भाग पर दीपक सेंपल वाहक एवं ई से एफ अनूपसिंह जी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श–पी 31 पर उसके द्वारा इंद्राज किया हुआ है। जप्तशुदा माल जब तक उसके पास रहा तब तक सील बंद अवस्था में व सुरक्षित रहा।

उक्त गवाह प्रकरण में मालखाना इंचार्ज एवं इन्वेंट्री का गवाह है, जिसने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर कथन किया कि प्रदर्श पी–31 में आई से जे, जो मिठू काठात के कमरे से माल बरामद करना बताया है, वह उसने अनुसंधान अधिकारी के कहने पर इंद्राज किया था।

25– गवाह **पी.डब्ल्यू 20 सत्येंद्र सिंह** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया है कि दिनांक 13.10.2015 को वह पुलिस थाना ब्यावर सिटी में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। इस प्रकरण सं. 436/2015 अंतर्गत धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना ब्यावर सदर की पत्रावली अनुसंधान हेतु उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उसे प्राप्त हुई। अनुसंधान के दौरान गवाह अनूप सिंह, विश्राम मीणा, संजीव, सुरेन्द्र, लालाराम, जितेन्द्र सिंह, शंकरलाल, मोहित सिंह, सिदार्थ, हरपाल, नारायण, सत्यनारायण, मिश्रु, भीम सिंह, प्रकाशचंद, दीपक, आशाराम, नरेन्द्र नागौरी, तितम्बा बयान अनूप सिंह, विश्राम मीणा, जगेन्द्र सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। तफ्तीश के दौरान परिवादी अनूप सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल गढी तिराहा पहुंचकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया, जिसपर ई से एफ उसके, जी से एच

मौतबीर गवाह जगवेन्द्र व अन्य गवाहों के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान परिवादी अनूपसिंह पुलिस निरीक्षक की निशानदेही पर घटनास्थल मालपुरा तिराहा पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया, जिसकी फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 9 पर ई से एफ उसके व जी से एच जगवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुलजिम प्रेम कुमार पुत्र रामसुख ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में स्वेच्छापूर्वक इत्तला दी कि दिनांक 12.10.2015 को अभियुक्त मिठू काठात के जिस घर से उसने डोडा पोस्त की दो बोरी खरीदी थी, वह स्थान चल कर बता सकता है। मुलजिम की इत्तला विश्वसनीय होने पर इसकी फर्द इत्तला प्रदर्श पी 32 मुर्तिब की गई, जिसपर ए से बी उसके व सी से डी दो स्थानों पर अभियुक्त प्रेम कुमार के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारशुदा मुल्जिम की मुताबिक 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला को उसके साथ उसके बताए अनुसार रतनपुरा घाटा शेखावास जाने वाली रोड पर आगे चलकर एक मकान के आगे ले जाकर बताया कि उक्त मकान जो कि अभियुक्त मिठु काठात का है, से डोडा पोस्त खरीदा था। उक्त मकान को देखा तो सामने गेट पर ताला लगा हुआ था। पीछे वाले गेट को चैक किया तो खुला हुआ था जिसपर अंदर जाकर चैक किया तो कमरे में पाच प्लास्टिक कि भरी हुई बोरियां मिली, जिनको प्रत्येक को बारी बारी से खोला व चैक किया तो उनमें डोडा पोस्त भरा हुआ मिला। जिसपर मौतबीर नियुक्त कर मुलजिम प्रेम कुमार की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक कांटे बाट की सहायता से तोल किया गया तो प्रथम बोरी का बारदाना सहित कुल वजन 16 किलोग्राम, दूसरी का 23 किलोग्राम, तीसरी का 30 किलोग्राम, चौथी का 25 किलोग्राम व पांचवी का 28 किलोग्राम, कुल 122 किलोग्राम हुआ। प्रत्येक बोरी से 500 ग्राम नमूना सेम्पल व 500 ग्राम कंट्रोल सेम्पल पृथक पृथक बोरी में से लिया जाकर कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्का अंकित किया गया। शेष बोरियों को भी सील्ड कर मार्का अंकित किया गया। जिसकी मौके पर फर्द बरामदगी अवैध डोडा पोस्त प्रदर्श पी 10 मुर्तिब की गई। जिसपर जी से एच उसके, ए से बी मौतबीर गवाह विश्राम, ई से एफ जगवेन्द्र सिंह, आई से जे मुलजिम प्रेमकुमार के हस्ताक्षर हैं। एक्स तीन स्थानों पर नमूना सील अंकित है। फर्द तस्दीक एवं बरामदगी स्थल नक्शा मौका अभियुक्त मिठु काठात का मकान प्रदर्श पी 11 पर जी से एच उसके, आई से जे स्थान पर मुलजिम प्रेमकुमार के हस्ताक्षर हैं। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 13 पर ई से एफ उसके, ए से बी विश्राम, सी से डी जगवेन्द्र मौतबीर गवाह व जी से एच मुलजिम प्रेमकुमार के हस्ताक्षर हैं। एक्स तीन स्थानों पर उपयोग में ली गई सील का नमूना अंकित है। फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी 12 पर जी से एच उसके, ए से बी विश्राम, सी से डी जगवेन्द्र मौतबीर गवाह, जी से एच प्रेमकुमार के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 33 शामिल पत्रावली की गई, जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली की इबारत के साथ उसके हस्ताक्षर हैं। तफतीश के दौरान सेम्पल वाहक दीपक को सील्डशुदा 07 सेम्पल अवैध डोडा पोस्ट के एफएसएल में जमा कराने के लिए अग्रेषण पत्र पी 28 मय दस्तावेज गए। अग्रेषण पत्र पी 28 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल के नाम अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 29 कानि से सील्डशुदा 7 पैकेट अवैध डोडा पोस्ट के एफएसएल में जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी 30 पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकरण की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है। अनुसंधान के दौरान इस प्रकरण में जब्तशुदा

वाहन जीप आर जे 01 यूए.6192 के वाहन स्वामी का पता उपलब्ध कराने हेतु आरटीओ अजमेर को भेजी गई तहरीर प्रदर्श पी 34 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी भाग में जिला परिवहन अजमेर की रिपोर्ट अंकित है जिसके अनुसार उक्त वाहन प्रेमकुमार पुत्र रामसुख कुमार के नाम रिकार्ड में दर्ज होना बताया। उसका स्थानातरण होने से इस प्रकरण में शेष अनुसंधान हेतु पत्रावली उच्च अधिकारियों के निर्देश से तत्कालीन एसएचओ को सुपुर्द कर दी थी।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया कि मिठू मेहरात उसके सामने कभी नहीं आया, ना ही उसने मिठू मेहरात से कभी अनुसंधान नहीं किया तथा उसने मिठू के स्वयं के कब्जे से कोई माल बरामद नहीं किया, फिर खुद कहा कि उसके कमरे से माल बरामद किया था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–32 के अनुसार मुल्जिम प्रेमकुमार ने ही उसे जानकारी दी थी कि मिठू काठात के मकान को वह चलकर बता सकता है। उसके अनुसंधान में यह तथ्य नहीं आए कि मुल्जिम प्रेमकुमार ने मिठू काठात से माल खरीदा हो। गवाह ने यह सही होना स्वीकार किया कि जब विवादित कमरे में जहां से मिठू का माल बरामद होना बताया गया है, उस कमरे में प्रवेश करने से पहले उसके द्वारा स्वयं की व जाप्ते की तलाशी नहीं ली गई। जिस स्थान से माल बरामद किया, वह कमरा मिठू काठात का ही हो, ऐसा उसने कोई दस्तावेज अपनी जांच के दौरान प्राप्त नहीं किया।

26– गवाह **पी.डब्ल्यू 21 यशवंत सिंह** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया कि वह दिनांक 12.10.2016 को थानाधिकारी ब्यावर सिटी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे मुकदमा नंबर 436/15 धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट थाना ब्यावर सदर की पत्रावली पूर्व अनुसंधान अधिकारी के स्थानांतरण से प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा इस प्रकरण में अनुसंधान के द्वारा गवाह चतरा सिंह, भूरा सिंह, नैनू सिंह, उंकार सिंह व हरजी सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए थे तथा प्रकरण में वांछित आरोपी मिठू सिंह को दिनांक 30.11.2016 को उसके विरूद्ध अपराध 8/15 एनडीपीएस एक्ट प्रमाणित होने से गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 24 पर सी से डी उसके, ए से बी संजय, ई से एफ मुलजिम मिठू व जी से एच कानि तेजमल के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारशुदा मुलजिम मिठू द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम स्वेच्छापूर्वक इत्तला दी गई कि रहवासी मकान के कमरे से डोडा पोस्त की प्लास्टिक की बोरी बरामद हुई थी, उस स्थान को साथ चलकर बता सकता हूं। उक्त इत्तला विश्वसनीय होने फर्द इत्तला धारा 27 प्रदर्श पी 35 मुर्तिब की, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं और सी से डी दो स्थानों पर मुलजिम मिठू के हस्ताक्षर है। गिरफतारशुदा मुलजिम मिठू ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला अनुसार अपने रहवासी मकान रतनपुरा घाटा पहुंच कर बरामदगी स्थल की मौका तस्दीक करवायी। जिसकी फर्द प्रदर्श पी 23 पर सी से डी उसके, ए से बी संजय, जी से एच तेजमल मौतबीर गवाह के व जी से एच मुलजिम मिठू के हस्ताक्षर है। तफतीश के दौरान पटवारी ग्राम पंचायत जीवाणा को आरोपी मिठू काठात के रहवासी मकान रतनपुरा घाटा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक तहरीर प्रदर्श पी 36 दी गई, जिसपर ए से बी उसके व सी से डी

स्थान पर पटवारी जीवाणा के प्राप्ति इबारत के साथ हस्ताक्षर है। पटवारी ने इस संबंध में ट्रेस नक्शा प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 37 जमाबंदी प्रदर्श पी 38 उपलब्ध करवायी। बाद तफ्तीश अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी सदर रविन्द्र सिंह जी को उपलब्ध करवा दी थी। जिनके द्वारा इस प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश किया गया।

अधिवक्त अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–37 व पी–38 के अभियुक्त मिठू का नाम का इंद्राज नहीं है तथा प्रदर्श पी–36 जो उसने पटवारी को दिया, उसका जवाब उसे नहीं दिया गया। यह भी कथन स्वीकार किया कि प्रदर्श डी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा उसने उक्त पत्र प्रदर्श डी–23 सरपंच जीवाणा को दिया था। उसे पता नहीं कि सरपंच जीवाणा ने प्रदर्श डी–24 के अनुसार उसे जवाब दिया हो, जिसमें सरपंच द्वारा यह जाहिर किया गया हो कि जिस मकान से पांच बोरी माल बरामद किया गया, वह मकान लक्ष्मण काठात का मकान हो।

27– गवाह **पी.डब्ल्यू 22 रविंद्र सिंह** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया कि दिनांक 31.12.2016 को वह थाना ब्यावर सदर में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन एफ.आई.आर संख्या 436/15 अंतर्गत धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज प्रकरण की पत्रावली बाद अनुसंधान पत्रावली आरोप पत्र पेश करने हेतु मुझे प्राप्त हुई। अनुसंधान पत्रावली में मौजूद गवाहों के बयानात व फर्द दस्तावेजात के आधार पर मुल्जिम मिठू उम्र 50 साल निवासी रतनपुरा घाटा, पुलिस थाना ब्यावर सदर के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 8/15, 8/29 एनडीपीएस एक्ट में अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र 83a/2016 कानूनी सलूल हेतु उसके द्वारा पेश किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर गवाह ने इस कथन को सही होना स्वीकार किया कि यशवंत जी ने उसे पत्रावली के साथ ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया, जिससे यह साबित हो कि जिस जगह से माल बरामद किया गया, उसका मालिक अभियुक्त मिठू मेहरात हो। यह भी स्वीकार किया कि पुलिस निरीक्षक यशवंत सिंह द्वारा प्रदर्श डी–23 सरपंच जीवाणा को दिया गया था, जिसका जवाब प्रदर्श डी–24 में सरपंच द्वारा यह बताया गया है कि जहां से माल बरामद किया गया, वह स्थान लक्ष्मण पुत्र नूरा काठात का है।

28– गवाह **पी.डब्ल्यू 23 नरेंद्र नागौरा** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया कि वह दिनांक 12.10.2015 को पुलिस अधीक्षक महोदय, अजमेर के कार्यालय में काईम ब्रांच में कानि के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 12.10.2015 व दिनांक 13.10.2015 को धारा 41 (1) एनडीपीएस एक्ट व धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचना गय प्रार्थना पत्र कानि 1271 दीपक कुमार पुलिस थाना ब्यावर सदर से कार्यालय आया था। जिस सूचना पर श्रीमान ने मार्क किया व आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। दिनांक 12.10.2015 करे 42 (1) एनडीपीएस एक्ट की सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रदर्श पी 13 दी व धारा 57 की ईत्तला प्रदर्श पी 19 पर ई से एफ रिसिव्ड पर सी से डी श्रीमान के हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा **प्रतिपरीक्षण** करने पर इस गवाह ने अभियुक्त मिठू

के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिए।

29– गवाह **पी.डब्ल्यू 24 तेजमल** द्वारा मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया गया कि दिनांक 30.11.2016 को वह पुलिस थाना ब्यावर सिटी में कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी महोदय यशवंत सिंह सी.आई ने उसके व संजय कुमार हैड कानि के समक्ष प्रकरण संख्या 436/2015 में मुलजिम मिठू काठात पुत्र घीसा काठात को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 24 गिरफ्तार किया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम की धारा 27 की साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के अनुसार रतनपुरा घाटा जाकर उसके मकान से माल बरामदगी स्थल की तस्दीक उसके व संजय हैड कानि के समक्ष की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 23 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

उक्त गवाह फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–24 का गवाह होकर औपचारिक गवाह है।

<u>अभियुक्त मिठू के विरुद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में साक्ष्य का विश्लेषण व निष्कर्षः–</u>

30– हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस में उठाए गए तर्कों के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र विवेचन करने पर यह स्पष्ट आता है कि बरामदगी किए जाते समय आरोपी मिठू मौके पर उपस्थित नहीं था। प्रकरण के सहअभियुक्त मृतक प्रेमकुमार के कहने पर जैर ए विचारण आरोपी मिठू मेहरात को प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। गवाहों द्वारा ऊपर अंकितानुसार अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि सहअभियुक्त प्रेमकुमार के द्वारा किए गए कथनों के आधार पर ही अभियुक्त मिठू को आरोपी माना गया है।

31– प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–36 दस्तावेज एक पत्र, जो थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर शहर द्वारा पटवारी हलका ग्राम पंचायत जीवाणा, तहसील मसूदा को दिया गया है, जिसमें ग्राम रतनपुरा घाटा, ग्राम पंचायत जीवाणा, पुलिस थाना ब्यावर सदर, जिला अजमेर में चबूतरे के पास बने नेमीचंद के मकान के सामने दूसरी ओर बना मकान किसका है, एवं उसमें कौन निवास करता है, बाबत् पूछा गया है। इस पत्र का कोई जवाब यशवंत सिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर शहर द्वारा लिया जाकर संलग्न पत्रावली नहीं किया गया है, जो कि गवाह पी.डब्ल्यू 21 यशवंत सिंह के बयानों में की गई प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट आता है। उक्त गवाह को जिरह में प्रदर्श डी–23, जो कि थानाधिकारी यशवंत सिंह द्वारा सरपंच को लिखा गया पत्र है, जिसमें ग्राम रतनपुरा घाटा, ग्राम पंचायत जीवाणा में चबूतरे के पास बने नेमीचंद के मकान के सामने दूसरी ओर बना मकान किसका है, एवं उसमें कौन निवास करता है, बाबत् पूछा गया है। इसका जवाब प्रदर्श डी–24 रहा है, जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की गई है, जिसमें उक्त मकान लक्ष्मण पुत्र नूरा काठात का होना रहा है। इस प्रकार बरामदगी स्थल अभियुक्त मिठू से संबंध रखता हो, ऐसी कोई सक्षम एवं योग्य साक्ष्य पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश नहीं की गई है।

32– प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू–1 संजीव चारण, पी.डब्ल्यू–2 विश्राम मीणा,

पी.डब्ल्यू–3 सुरेंद्र सिंह व पी.डब्ल्यू–5 लालाराम के बयानों से प्रकट होता है कि अभियुक्त मिठू का नाम मृतक अभियुक्त प्रेमकुमार के कहने से ही लिखा गया है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत –**तूफान सिंह बनाम तमिलनाडू राज्य, फौजदारी अपील संख्या 152/2013, SC** में यह मत प्रतिपादित किया गया है किः–

155. We answer the reference by stating:

(i) That the officers who are invested with powers under section 53 of the NDPS Act are "police officers" within the meaning of section 25 of the Evidence Act, as a result of which any confessional statement made to them would be barred under the provisions of section 25 of the Evidence Act, and cannot be taken into account in order to convict an accused under the NDPS Act.

(ii) That a statement recorded under section 67 of the NDPS Act cannot be used as a confessional statement in the trial of an offence under the NDPS Act.

33– इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्त मिठू को आरोपित अपराध से जोड़ने वाली कोई साक्ष्य यथा अभियुक्त मृतक प्रेम कुमार से फोन पर वार्तालाप की कोई साक्ष्य, अभियुक्त की मौके पर उपस्थिति अथवा स्थान, जहां से बरामदगी की गई, उस स्थान की अभियुक्त से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण केवल मृतक अभियुक्त प्रेम कुमार द्वारा अनुसंधान के दौरान किए गए कथनों की, उपरोक्त प्रतिपादित विधि के आलोक में जब कोई सार्थकता अथवा सुसंगतता नहीं रह जाती है, तो अभियुक्त साक्ष्य अभाव में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 8/18 व 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

– आदेश –

34– अतः अभियुक्त **मिठू** पुत्र घीसा, उम्र 60 वर्ष, निवासी–रतनपुरा घाटा, पी.एस. ब्यावर सदर, जिला अजमेर को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा **8/18 व 8/29** के आरोपित अपराध में साक्ष्य अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त बर जमानत आजाद है, अतः अभियुक्त की हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

35– प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत, नमूना सैंपल, कंट्रोल सैंपल इत्यादि के बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नारकोटिक्स विभाग में जमा कराया जावें। अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार उसका निस्तारण किया

जावे। संबंधित को उक्त आशय की तहरीर जारी की जावें।

36– प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा जीप नम्बर RJ–01–UA–6192 इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है। प्रकरण में जब्तशुदा मोबाईल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नीलाम किए जाकर नीलामी की राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

(विकास सिंह चौधरी)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या – 01,
ब्यावर, जिला ब्यावर, राज.

37– निर्णय/आदेश आज दिनांक **13.07.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(विकास सिंह चौधरी)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ प्रकरण एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या – 01,
ब्यावर, जिला ब्यावर, राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.14 16:03:12 IST